


**प्रारूप एस.एस.पी. I**  
**सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत आवेदन प्रपत्र**



( संबंधित पर (✓) का निशान लगायें )

- पेंशन का प्रकार :  वृद्धावस्था,  विधवा/परित्यक्ता,  विशेष योग्यजन
- आवेदन के निवास क्षेत्र का विवरण : .....
- जिला : .....
- तहसील/पंचायत समिति : .....
- ग्राम/वार्ड/कस्बा/शहर/ग्राम पंचायत : .....
- विधान सभा क्षेत्र : .....
- लोकसभा क्षेत्र : .....
1. आवेदक का नाम एवं आधार कार्ड संख्या : .....
2. पुरुष या स्त्री :  पुरुष  स्त्री
3. पिता या पति का नाम : .....
4. धर्म : ..... जाति .....
5. व्यवसाय : .....
6. पति की मृत्यु/परित्यक्ता प्रमाण पत्र की तिथि :  -  -   
(विधवा/परित्यक्ता पेंशन के प्रकरण में)
7. निःशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशत (प्राधिकृत चिकित्सक बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें) (निःशक्तता पेंशन के प्रकरण में) :  अंधता  कुष्ठ रोग मुक्त  श्रवण शक्ति ह्रास  कम दृष्टि  
 चलन निःशक्तता,  मानसिक मंदता,  मानसिक रूग्णता  
प्रतिशत
8. पूरा पता : .....
- ..... पिनकोड
9. जन्म तिथि एवं आयु (आवेदन की तारीख को आयु) :  -  -  आयु  वर्ष  माह  
(उल्लेखित आयु के बारे में प्रमाण पत्र संलग्न है या नहीं है)
10. पेंशन भुगतान प्राप्त करने का विकल्प :  नकद  मनीऑर्डर  डाकघर बचत खाता  
 बैंक बचत खाता
11. आवेदक द्वारा पेंशन प्राप्त करने हेतु बैंक/पोस्ट ऑफिस में खुलवाये गये बचत खाते का विवरण  
(अ) बैंक / पोस्ट ऑफिस का नाम व पता : .....
- बचत खाता संख्या :  -
12. पहचान चिन्ह : 1. .... 2. .... 3. ....
13. बी.पी.एल. विवरण : .....
- (अ) बी.पी.एल. सर्वेक्षण वर्ष :
- (ब) बी.पी.एल. का स्थान : .....
- (स) बी.पी.एल. फैमिली आई.डी. : .....
- (द) बी.पी.एल. मेम्बर आई.डी. : .....
14. आवेदक के सम्बन्धियों का विवरण और उनकी आयु : नाम : आयु :  
(क) पिता : ..... वर्ष
- (ख) माता : ..... वर्ष

(ग) पति/पत्नी

: .....   वर्ष

टिप्पणी :-

: (I) केवल सुसंगत मदों को ही आयु सहित भरा जाये। विसंगत मदों को काट दिया जाय।

: (II) विशेष योग्यजन पेंशन के आवेदकों द्वारा ही माता और पिता का विवरण दिया जाना है।

15. क्या संबंधी/संबंधियों के कोई आय अथवा आय का कोई स्रोत है? (हाँ / नहीं)  हाँ  नहीं

16. क्या कोई भी संबंधी लगातार लापता है? (हाँ/नहीं) :  हाँ  नहीं

यदि ऐसा है तो विस्तृत वर्णन (नाम, आयु तारीख जिससे लापता हो) : नाम .....  
:  आयु  -  -

17. क्या कोई सम्बन्धी जीविकोपार्जन के लिए सर्वथा असमर्थ हो गया है (हाँ / नहीं), का विवरण? :  हाँ  नहीं

नाम : आयु :  
(क) पिता : .....  वर्ष  
(ख) माता : .....  वर्ष  
(ग) पति/पत्नी : .....  वर्ष

18. मतदाता पहचान पत्र संख्या :  राशन कार्ड संख्या

19. श्रेणी :  सामान्य  ओ.बी.सी.  एस.सी.  एस.टी.  अल्प संख्यक

20. आवेदक के स्वयं के सम्पर्क नम्बर : मो.  ले.ला.

21. आवेदक के सम्बन्धी के सम्पर्क नम्बर : मो.  ले.ला.

मो./ले.ला. धारक के आवेदक के साथ सम्बन्ध : .....

22. मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता / करती हूँ :

(क) (I) मेरे पास नियमित आय का कोई स्रोत नहीं है अथवा मेरे पास जीवन निर्वाह के लिए कोई आय नहीं है।

(II) मैं ..... रु. प्रति मास ..... (सरकारी विभाग/निजी निकाय/संस्थान या अन्य स्रोत का नाम लिखें) से, पी.पी.ओ. संख्या ..... आदेश संख्या ..... के द्वारा पेंशन/निर्वाह भत्ता प्राप्त कर रहा हूँ/कर रही हूँ।

(ख) मैंने पूर्व में वार्धक्य/विधवा/परित्यक्तता/विशेष योग्यजन पेंशन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है/नहीं किया है।

(यदि पहले प्रस्तुत किया गया हो तो यह लिखें कि क्या वह ली है या अस्वीकृत कर दिया गया है।)

(ग) मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ। मैं राजस्थान में गत 7 वर्षों से स्थाई रूप से निवास कर रहा हूँ।

(घ) राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (नेशनल ट्रस्ट एक्ट) के अन्तर्गत अभिभावक नियुक्ति पत्र संलग्न है।

(ङ) मेरे द्वारा सूचित उपर्युक्त समस्त विशिष्टियां मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है।

(असंगत मदों को काट दिया जाये)

स्थान : .....

दिनांक :  -  -

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर  
या दायें/बायें अगूठे का निशान

23. प्रमाण पत्र

यह प्रमाण पत्र संसद या विधान सभा नगर परिषद्/नगर पालिका बोर्ड निगम के सदस्य या पंचायत के सरपंच/पंचायत समिति के प्रधान/ जिला परिषद् के प्रमुख या राज्य अथवा केन्द्र के राजपत्रित सरकारी अधिकारी द्वारा दिया जायेगा।

मैं श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पत्नी ..... को गत ..... वर्षों से जानता

हूँ। उसके पहचान के चिन्ह नीचे दिये जा रहे हैं।

1. ....
2. ....

यह स्वस्थ चित्त/विक्षिप्त है।

इस आवेदन में दी गई विशिष्टियां मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं।

दिनांक : .....

प्रमाण पत्र देने वाले व्यक्ति के  
हस्ताक्षर और पद नाम व पूरा पता

टिप्पणी :-

- (1) यदि पेंशनर विक्षिप्त होने के कारण अपने हस्ताक्षर करने/अंगूठा लगाने में असमर्थ हो तो पेंशनर का पेंशन द्वारा भरण पोषण करने का जिम्मा लेने वाला संरक्षक आवेदन पर हस्ताक्षर कर सकेगा।
- (2) संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, पंचायत के सरपंच, पंचायत समिति के प्रधान, जिला प्रमुख या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित पासपोर्ट के आकार की फोटो की तीन प्रतियां संलग्न करें।

## प्रारूप एस.एस.पी. I का भाग II जांच अधिकारी की रिपोर्ट

मैंने नियमों के अधीन अपेक्षित आवश्यक जांच कर ली है और आवेदन में वर्णित तथ्यों के सत्यापन का परिणाम निम्नानुसार है :-

(संबंधित पर (✓) का निशान लगायें)

1. आयु :  वर्ष  माह  तिथि  
 (क) भौतिक सत्यापन के आधार पर आयु के प्रमाण के सम्बन्ध में टिप्पणी : .....  
 (ख) देखने पर अनुमानित आयु :  वर्ष  माह  
 (ग) गाँव के जिम्मेदार व्यक्तियों, निकट संबंधियों पटवारी, पंच आदि द्वारा बताई गई आयु :  वर्ष  माह
2. आय या आय का स्रोत : .....  
 (क) क्या उसकी कोई पूर्व सम्पत्ति है, जैसे मकान, कृषि भूमि आदि? : .....  
 (ख) क्या उसकी कृषि, किराये, कारोबार, व्यवसाय या नियोजन आदि से कोई नियमित आय होती है? :  हाँ  नहीं  
 (ग) अब तक उसके जीवन निर्वाह या उसी जीविका का स्रोत क्या रहा है? : .....  
 (घ) जांच के समय उसके नोटिस में लाई गई या अन्य संबंधित सूचना या विशिष्टियां : .....
3. आवेदक के सम्बन्धियों का विवरण : .....  
 (क) माता, पिता, पत्नी, पति का नाम, उनकी आयु और आय का स्रोत, नियुक्ति का विवरण : .....  
 (ख) अन्य सम्बन्धी जो जीविकोपार्जन के लिये सर्वथा असमर्थ हो गये हो, यदि हाँ, तो नियोग्यताओं का ब्यौरा दें। :  हाँ  नहीं .....
4. कोई पेंशन, भत्ते, अनुदान : .....  
 क्या उसे कोई पेंशन, भत्ते, वित्तीय सहायता मिलती है? यदि हाँ, तो पेंशन राशि, भत्ते आदि का पूर्ण :  हाँ  नहीं .....

ब्यौरा और प्राप्ति का स्रोत और अन्य आवश्यक  
विशिष्टियाँ लिखें।

5. कोई अन्य सूचना :

(अ) (बी.पी.एल. सर्वे संख्या आदि) :

(ब) पति के मृत्यु/परित्यक्तता/तलाकशुदा के प्रमाण:  हाँ  नहीं  
पत्र की प्रति संलग्न है (विधवा/परित्यक्तता/  
तलाकशुदा पेंशन के प्रकरण में)

(स) निःशक्तता का प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा :  हाँ  नहीं  
प्रदत्त प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न है।  
(विशेष योग्यजन पेंशन प्रकरण में)

6. जांच अधिकारी की सिफारिश :

आवेदक के परिवार के बी.पी.एल. सूची में सूची- :

बद्ध रहने तक/पेंशन नियमों में अपात्र नहीं होने तक/  
मृत्यु पर्यन्त तक की वृद्धावस्था/विधवा/विशेष योग्यजन  
पेंशन स्वीकृत करने की सिफारिश की जाती है/नहीं  
की जाती है। मामले की अस्वीकृति के निम्न कारण है।

(जो लागू नहीं हो उसे काट दे)

दिनांक :  -  -

स्थान: .....

जांच अधिकारी के हस्ताक्षर  
मय नाम व सील

### स्वीकृत प्राधिकारी समिति का कार्यवाही विवरण

जाँचकर्ता अधिकारी तहसीलदार की सिफारिश के अनुसार स्वीकृता प्राधिकारी समिति उक्त पेंशन की स्वीकृति / अस्वीकृति  
प्रदान करती हैं।

उपखण्ड अधिकारी

विकास अधिकारी

प्रधान/उप प्रधान / पं.सं. सदस्य

### प्रारूप एस.एस.पी. I का भाग III

#### स्वीकृत प्राधिकारी के आदेश

आवेदक श्री/श्रीमति/सुश्री ..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .....

को प्रतिमाह रु. .... (अक्षरे रुपये ..... ) की

वृद्धावस्था/विधवा/परित्यक्तता/विशेष योग्यजन पेंशन एतद्वारा स्वीकृत की जाती है/या पेंशन की मंजूरी का आवेदन निम्न  
कारणों से अस्वीकृत किया जाता है। (जो लागू न हो, काट दें)

अस्वीकृति के कारण .....

दिनांक : .....

स्थान : .....

विकास अधिकारी / उपखण्ड अधिकारी

मय नाम व सील

प्रारूप एस.एस.पी. I का भाग- IV

आय का घोषणा पत्र

(सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए)

आवेदक सम्बन्धी आवश्यक सूचना (वैकल्पिक बिन्दु को ✓ चयन करें)

पेंशन का प्रकार:-  वृद्धावस्था  विधवा/परि./तलाकशुदा  विशेष योग्यजन  अन्य

1. प्रार्थी का नाम..... पिता/पति का नाम श्री ..... आयु..... वर्ष ..... माह
2. निवास स्थान का पूर्ण पता:- .....  
तह..... जिला..... पिन:
3. स्वयं/ स्वयं की एवं पति/पत्नि की समस्त स्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय का विवरण :-

(i) कृषि भूमि (.....) आदि से आय: रु.....	(ii) वृत्ति, सेवा लाभ, अनुदान, निकाय आदि से आय: रु.....
(iii) वेतन, पेंशन, भत्ते, मानदेय, नियोजन, मजदूरी, आदि से आय: रु.....	(iv) मशीनरी, किराये, दुकान, कारोबार, व्यवसाय या व्याज, लागाना से आय: रु.....
(v) अन्य स्रोतों से आय: रु.....	कुल वार्षिक आय: रु.....

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक:.....

प्रार्थी का नाम व हस्ताक्षर

उत्तरदायी व्यक्ति का साक्ष्य प्रमाण पत्र

मैं शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि, प्रार्थी/प्रार्थिया..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री..... निवासी..... को भली प्रकार से जानता/जानती हूँ। प्रार्थी/प्रार्थिया द्वारा उपरोक्तानुसार की गई घोषणा का मैं साक्षी हूँ। मेरी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी/प्रार्थिया के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

हस्ताक्षर/उत्तरदायी गवाह नाम.....  
(पद नाम मय दिनांक )

नोट:- (उत्तरदायी व्यक्ति यथा-संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/संसद/वाह पंच/महापौर/उपमहापौर/नगर निगम सदस्य/नगर पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वाह पार्षद/वाह गवर्नर/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से अभिशंभा करवाएँ।)

प्रारूप एस.एस.पी. I का भाग-V

शपथ पत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री..... शपथपूर्वक उद्घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी/ मेरी एवं मेरे पति/पत्नि की (जो भी लागू हो) समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रु..... अक्षर रु..... है। उक्त शपथ पत्र मेरी निजी जानकारी से लिखा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता

प्रमाणीकरण

उपरोक्त शपथकर्ता नाम..... पिता/पति का नाम..... आय..... निवासी..... ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणीकृत किया जाता है। प्रार्थी की पहचान..... के द्वारा की गई।

स्थान:.....  
दिनांक:.....

हस्ताक्षर  
प्रमाणीकरण अधिकारी  
(कार्यपालक मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायब तहसीलदार/  
नोटेरी पब्लिक/ऑथ कमिश्नर/अन्य प्राधिकृत अधिकारी)  
का नाम व पद मय मुहर